<u>तत्काल निर्वाचन</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0.576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 दिनांक: 18 मई, 2018

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. महाराष्ट्र
2. नागालैंड़
3. उत्तर प्रदेश
4. बिहार
5. झारखण्ड
6. केरल
7. मेघालय
8. पंजाब
9. उत्तराखण्ड
10. पश्चिम बंगाल

विषय: महाराष्ट्र, नागालैंड़, उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा के उप निर्वाचन, 2018-एग्जिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग की दिनांक दिनांक: 18 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-I/2018 इस अनुरोध सहित इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-
(लता त्रिपाठी)
अवर सचिव

भारत के राजपत्र तथा महाराष्ट्र, नागालैंड़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-II/2017 दिनांक: 18 मई, 2018

<u>अधिसूचना</u>

यत:, महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोक सभा तथा बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा के उप निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/32/2018 के द्वारा की जा चुकी है।

2. यत:, आयोग द्वारा यथा घोषित अनुसूची के अनुसार महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, केरल, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में उप निर्वाचन के लिए मतदान दिनांक 28.05.2018 को होना है; और

3. और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध होगा;

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा दिनांक 28.05.2018 (सोमवार) को **पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराहन 06.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/32/2018 के द्वारा घोषित **महाराष्ट्र में 11-भन्डारा-गोंदिया एवं 22-पालघर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 285-पलुस कडेगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में नागालैंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में 2-कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 24-नूरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा बिहार में 50-जोकिहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 34-गोमिया एवं 61-सिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 110-चेनगान्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मेघालय में 53-आमपाती (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में 32-शाहकोट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तराखण्ड में 05-थराली (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 155-महेशटाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से उक्त उप-निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के लिए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत अवधि के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

ह./-
(के.एफ.विल्फ्रेड)
व. प्रधान सचिव